

प्राचार्या
राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
रामपुर ।

सेवा में,

कुलपति
म०उ०जी०एफुले स्लेमण्ड विद्यालय
बरेली ।

पत्रांक 560-62 /सम्बद्धता/98-99

दिनांक 05-11-98

विषय:- पाठ्यक्रम/महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आप अपने पत्रांक कु०का०/98/2474-75
दिनांक 8-9-98 का अवलोकन करने का कष्ट करें ।

इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना है कि इस महाविद्यालय में निम्नलिखित
विषयों में स्थायी मान्यता प्राप्त है।

स्नातकोत्तर स्तर पर:- सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी साहित्य-1983 से स्थायी मान्यता
सामान्य हिन्दी, हिन्दी साहित्य
उर्दू, फारसी, संस्कृत, मनोविज्ञान
अर्थशास्त्र, राजशास्त्र, संगीतशास्त्र
समाज शास्त्र ।

स्नातकोत्तर स्तर पर:-

हिन्दी, अर्थशास्त्र, राजशास्त्र- 1984 से स्थायी मान्यता
संगीतशास्त्र
उर्दू, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र-1983 से स्थायी मान्यता

सूच्य है कि इस महाविद्यालय में निम्नलिखित विषयों में कुलाधिपति
महोदय के पत्रांक 4321/जी०एफुले दिनांक 20-7-95 द्वारा दिनांक 1-7-95 से
अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी है।

स्नातकोत्तर स्तर पर- गृह-विज्ञान, ब्राइंग पैटर्न

अतः आपसे अनुरोध है कि गृह विज्ञान एवं ब्राइंग पैटर्न में सम्बद्धता
विस्तारण हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें ।

सत्यापित

[Signature]

प्राचार्य

रा० महिला स्ना० महावि०

रामपुर

पु०सं० 560-62 /सम्बद्धता/98-99

अवधीया

डा० नलिनी चन्द्रा

प्राचार्या

रा० महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
रामपुर ।

उक्ततिथि ।

- 1- प्रतिनिधि शिक्षा निदेशक, उ०श्री० वि०, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- प्रतिनिधि कुलाधिपति, स्लेमण्ड विद्यालय, बरेली के सूचनार्थ प्रेषित ।

डा० नलिनी चन्द्रा

प्राचार्या

रा० महिला स्नातकोत्तर महावि०
रामपुर ।

सूचना :-

1- इसके प्रसंगत राजसा देना एवं विभाग विद्ये द्वारा महा विद्यालय की छात्रता की रवी ।

शासनादेश / 31080/7446/15-76(11)/IX(13)73 विभाग 8-9-76

महा विद्यालय की प्रविष्टि विवरण :-

1- इस विषय का द्वारा विवरण :- महा विद्यालय में प्रमाण में समस्त है तथा 260' x 20' = 3120' क्षेत्रफल का मेवात है जिसमें इति कर्मा महा विद्यालय की छात्रों द्वारा कीड़ा बनारस सभ्यता होती है ।

2- महा विद्यालय के पत्र द्विती भाषण उपलब्ध है ।

3- महा विद्यालय में प्रविष्टि वाले वाले क्लब (स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर) :-

1- स्नातक स्तर के विषय :-

हिन्दी , अंग्रेजी , इतिहास , उच्च शिक्षण , उच्च शिक्षण , उर्दू , तत्त्वज्ञान , समाजशास्त्र , मनीषाशास्त्र , उर्दू शास्त्र , राजनीति शास्त्र , समाज शास्त्र तथा संगीत (नाच) ।

स्नातकोत्तर स्तर के विषय :-

हिन्दी , उर्दू , मनीषाशास्त्र , उर्दू शास्त्र , राजनीति शास्त्र , समाज शास्त्र तथा संगीत (नाच) ।

(क) व्याख्यान का विवरण बार छात्र संख्या :- संलग्न है ।

(ख) गत बार कर्मा का विवरण बार विवरण :- संलग्न है ।

(ग) व्याख्यान विवरण बार कर्मा का प्रतीक्षा दिनांक :- संलग्न है ।

4- छात्रों का विवरण :- संलग्न है ।

5- छात्रों के पत्रों का विवरण :-

- 1- छात्रों का विवरण
- 2- प्रस्तावना
- 3- प्रस्तावना
- 4- प्रस्तावना
- 5- प्रयोगशाळा सहायक (मनीषाशास्त्र)
- 6- तत्त्वज्ञान संगतकार (संगीत नाच)
- 7- प्रस्तावना
- 8- प्रस्तावना
- 9- प्रस्तावना

सत्यापित

प्राचार्य
 रा० महिला स्ना० महावि०
 रामपुर

संख्या: 3500/बी०एस०

53

संख्या: 3500/बी०एस०
दिनांक: 1-1-92
ML

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति
के अवर विधि परामर्शी
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

कुलसचिव,
मैरठ विश्वविद्यालय,
मैरठ ।

लखनऊ : दिनांक 29 ^{अगस्त} 1992

श्री. वि. वि.
पत्राचार
दिनांक 1-9-92

महोदय,

आपके पत्र संख्या ए०एस०६८११/४, दिनांक 4-1-92 के संदर्भ में गुण्ये आपने यह कहने का निर्देश हुआ है कि कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37(2) के अधीन राजकीय महाविद्यालय, देवबन्द, सहारनपुर को कला स्तरीय में स्नातक स्तर पर हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थ शास्त्र तथा उर्दू विषयों में तथा बी०काम०में पूर्व प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता को 30-6-91 तक विस्तारित करते हुये दिनांक 1-7-91 से स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की स्वीकृति गृहण प्रदान कर दी है ।

भवदीय,

शुचन्द्र भुण्ण पाण्डेय
श्री राज्यपाल के अवर विधि परामर्शी
दाता/प्रभारी संयुक्त सचिव ।

संख्या 1170/15/17/92-41/5/92, दिनांक जून 1992

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक का
वाही हेतु प्रेषित :-

- 1. शिक्षा निदेशक, उ०शि०, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद
- 2. प्राचार्य, रा०म० वि० देवबन्द, सहारनपुर

सत्यापित
प्राचार्य
रा० महिला स्ना० महावि०
रामपुर

आज्ञा से,
[Signature]
एस०एस० सरवानी
संयुक्त सचिव

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ-227132

संख्या-ई.स. 1513 / जी.एस.
दिनांक: 15/9/2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में

कुल सचिव,
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

महोदय,

आपके पत्रांक-रू०वि०/सम्ब०/८८/२००६/६६७६-८१ दिनांक २८-०७-२००६ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१६७३ की धारा-३७(२) के "परन्तुक" के अधीन राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत इतिहास, भूगोल एवं दर्शनशास्त्र विषयों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन ०१-०७-२००६ से आगामी तीन वर्षों हेतु तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकायान्तर्गत अंग्रेजी संस्कृत एवं फारसी विषयों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन ०१-०७-२००६ से आगामी दो वर्षों हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है-

- १- महाविद्यालय समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- २- यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१६७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।


भवदीय,


(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- २- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- ३- प्राचार्य, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर।

सत्यापित


प्राचार्य
रा० महिला स्ना० महावि०
रामपुर


(विजय कुमार सिंह)

Handwritten notes:
O.S. वि० से
पत्रांक 21/9/06
सचिव

राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय

रामपुर (उ० प्र०)

क्रमांक-1004-05

दिनांक 12.07.04

देशीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
धरौली ।

प्रति,
श्रीमान,

आपके पत्रांक-शे0क0तोब0/1393-1407/2004-05 दिनांक-9-7-04 के सम्बन्ध में वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक कार्यवाही हेतु दो प्रतियों में प्रेषित है -

प्रपत्र

शे0क0 नाम	महाविद्यालय का विषय	सम्बद्धता स्थानों/अभ्युक्ति अस्थायी के कब तक	प्राचार्या का नाम/हस्ताक्षर
1	2	3	4

1. राजकीय महिला स्नातक :-
महाविद्यालय,
रामपुर ।

डॉ० रमा सहायिया

- 1. हिन्दी भा०
- 2. अंग्रेजी भा०
- 3. उर्दू
- 4. फारसी
- 5. तर्कित
- 6. मनी विज्ञान
- 7. अध्यात्म
- 8. राजनीति शा०
- 9. समाजशास्त्र
- 10. संगीत (गायन)
- 11. सांख्य शूद्र वेदों

महाविद्यालय में यह विषय नहीं पढ़ाये जा रहे हैं ।

स्नातकोत्तर :-

- 1. हिन्दी
- 2. उर्दू
- 3. अध्यात्म
- 4. समाजशास्त्र
- 5. राजनीतिशास्त्र
- 6. मनी विज्ञान
- 7. संगीत (गायन)

सत्यापित


प्राचार्य
रा० महिला स्ना० महावि०
रामपुर

Handwritten notes in Hindi:
राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर।
आपके पत्रांक-शे0क0तोब0/1393-1407/2004-05 दिनांक-9-7-04 के सम्बन्ध में वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक कार्यवाही हेतु दो प्रतियों में प्रेषित है -

14.7.04
श्रीमान श्रीमान
प्रधानाचार्य
राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
रामपुर ।

M.J.P.Rohilkhand University, Bareilly

Name and address of the college	Status	Year of Estb.	Nature of Affiliation	Teaching Upto	Govt or Non Govt	Aided or Unaided
Gauri Faizam College Shahjahanpur District Shahjahanpur Uttar Pradesh	2(f) and 12(B)	1947	Permanent	Master's	Non Government	
Yoshi Smarak Degree College Surjannagar - Jainagar District Moradabad Uttar Pradesh	2(f) and 12(B)	1973	Permanent	Bachelor's	Non Government	
Ganna Utpadak Mahavidyalaya Bahari District Bareilly Uttar Pradesh	2(f) and 12(B)	1973	Permanent	Master's	Non Government	
Gauri Shankar Mahavidyalaya Gularia Uprala Aoria Bareilly - 243 301 Uttar Pradesh	2(f) and 12(B)	2004	Permanent	Bachelor's	Non Government	Unaided
Gill Institute of Higher Education Pakbara Road Kaalsa Amroha - 244 221 Uttar Pradesh	2(f) and 12(B)	2012	Permanent	Bachelor's	Non Government	Unaided
Gindo Devi Girls College Badaun District Badaun Uttar Pradesh	2(f) and 12(B)	1982	Permanent	Bachelor's	Non Government	
Global Institute of Education Vill. Narayanpur Tehsil Tanda Dist. Rampur Near Trveni Sugar Factory Uttar Pradesh	2(f) and 12(B)	2011	Permanent	Bachelor's	Non Government	Unaided
Gokul Das Hindu Girls College Moradabad District Moradabad Uttar Pradesh	2(f) and 12(B)	1952	Permanent	Master's	Non Government	
Government Girls Degree College Macchili Bhawan Rampur District Rampur Uttar Pradesh	2(f) and 12(B)	1976	Permanent	Master's	Government	
Government P.G. College Bisalpur-Pilibhit-262 201 Uttar Pradesh	2(f) and 12(B)	1976	Permanent	Master's	Government	



ज्ञान - विज्ञान विमुक्तये

सत्यापित

[Signature]

प्राचार्य

रा० महिला स्ना० महावि०
समपुर

पत्रांक : स.वि./सम्ब./88(4)/2006/5093-5/0

दिनांक : 09.05.2006
Rajya

प्राचार्या,
राजकीय महिला महाविद्यालय,
रामपुर

महोदया,

कृपया अपने पत्र सं. 29/प्रवेश/2006-07 दिनांक 27.04.2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र के तारतम्य में आपको अवगत कराना है कि आपकी संस्था को राजभवन के पत्रांक 4.8.2550/जी.एस. दिनांक 21.10.05 द्वारा स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी.कॉम. पाठ्यक्रम में निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2006 से शागामी 2006-07 के अर्थवर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त स्वीकृति के आलोक में कुलपति जी ने कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में राजकीय महिला महाविद्यालय, रामपुर को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकायान्तर्गत बी.कॉम. पाठ्यक्रम में सत्र 2006-07 से 02 सेक्शन (60 छात्र प्रति सेक्शन) के प्रवेश की अनुमति भी प्रत्याशा में प्रदान की गयी है।

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र 'बी' में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा महाविद्यालय में मानकानुसार शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण कर लिया जायेगा।
3. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी सम्बद्धता मानकों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।

राजकीय महिला महाविद्यालय
रामपुर

8up
1575706

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. वित्त अधिकारी
2. उप कुलसचिव (शैक्षणिक/सम्बद्धता)
3. सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अतिगोपनीय/परीक्षा/लेखा)

मोडल अधिकारी आवर्तमान
राजकीय महिला महाविद्यालय
रामपुर (3080)

राजकीय
कुलसचिव
रा० महिला स्ना० महाविद्यालय
रामपुर

सत्यापित
प्राचार्य
रा० महिला स्ना० महावि०
रामपुर


महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक: स्वा०वि०/सम्बद्धता/2016/ 710 - 710
सेवा में,

दिनांक: 30.05.2016

प्रबन्धक/सचिव
राजकीय महिला महाविद्यालय,
रामपुर।
विषय: राजकीय महिला महाविद्यालय, रामपुर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकायान्तर्गत बी०एससी०(मैथ व बायो ग्रुप) पाठ्यक्रम/विषयों में सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।
महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वागुप्ति दिने जाने के उपबन्ध की समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्रावधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब-1145/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 30.05.2016 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति के राजकीय महिला महाविद्यालय, रामपुर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकायान्तर्गत बी०एससी०(मैथ व बायो ग्रुप) प्रत्येक ग्रुप में एक-एक सेक्शन (अधिकतम 60 छात्र प्रति सेक्शन) पाठ्यक्रम/विषय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रवक्ताओं की नियुक्ति/अनुमोदन वांछित होने के दृष्टिगत दिनांक 01.07.2016 से तीन वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. महाविद्यालय द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं० 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदत्त हो गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही रिप्रग्राम्स की जायेगी।
3. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
4. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
5. कक्षा संचालन से पूर्व सम्बद्धता समिति के सदस्य द्वारा जो कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा, मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

भवदीय

प्र०(मुश्ताहद हुसैन)
कुलपति

सत्यापित

प्राचार्य

रा० महिला स्ना० महावि०
रामपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
02. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. वित्त अधिकारी, एम०जे०पी०स्वा०वि०, बरेली।
04. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
05. निजी सचिव, कुलपति।
06. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
07. श्री रविन्द्र गौतम, प्रोग्रामर को इस आशय से कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
08. उप कुलसचिव (परीक्षा)/उप कुलसचिव (गोपनीय) को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

डॉ०(एस.एल. मौरी)
कुलसचिव



राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर, उ०प्र०

9

Govt Girls' P.G. College, Rampur, U.P.

पत्रांक 27 / 2016-17

दिनांक :- 04.05.2016
10.5.2016

सेवा में,

कुलसचिव,

एम० जे० पी० रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,

बरेली।

विषय- बी० एस० सी० (गणित एवं बायो वर्ग) की कक्षाएँ संचालित करने हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के विषयक।

महोदय,

उ०प्र० शासन की मंशानुरूप (जैसा कि क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद-बरेली परिक्षेत्र द्वारा निर्देशित किया गया है) इस महाविद्यालय में अगले सत्र 2016-17 से बी०एस०सी (गणित एवं बायो वर्ग) में कक्षाएँ संचालित की जानी है। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र परिपूरित कर आपकी सेवा में प्रेषित किया जा रहा है। कृपया यथाशीघ्र छात्राहित में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सादर

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय उच्च शिक्षा
अधिकारी, बरेली।

um

*Recd
A
12/5/16*

[Signature]
(डा० रजनी रानी अग्रवाल)
प्राचार्य

राजकीय महिला स्नातकोत्तर, महाविद्यालय
रामपुर

सत्यापित

[Signature]
प्राचार्य

रा० महिला स्ना० महावि०
रामपुर

संख्या-169/सत्तर-5-2016-70(32)/2014

प्रेषक,

बी०बी० सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 14 जनवरी, 2016

विषय: राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षिक तथा शिक्षणोत्तर पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त महाविद्यालयों में निम्न विवरण के अनुसार अस्थाई पदों को इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि या इन पदों पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 31-12-2016 तक सृजित किये जाने की इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं कि इन अस्थायी पदों को इससे पहले बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय :-

क्र०	पदों का विवरण	संख्या	वेतनबैण्ड (रूपये में)	ग्रेड-पे (रूपये में)
1	2	3	4	5
(1)	40 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय महिला महाविद्यालय, सेवापुरी, वाराणसी रमपुर हेतु -			
	प्रवक्ता-हिन्दी	01	15600-39100	6000
	प्रवक्ता-समाजशास्त्र	01	15600-39100	6000
(2)	राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर विज्ञान संकाय हेतु -			
	प्रवक्ता-गणित	01	15600-39100	6000
	प्रवक्ता-भौतिक विज्ञान	01	15600-39100	6000
	प्रवक्ता-रसायन विज्ञान	01	15600-39100	6000
	प्रवक्ता-वनस्पति विज्ञान	01	15600-39100	6000
	प्रवक्ता-जन्तु विज्ञान	01	15600-39100	6000
	प्रयोगशाला सहायक	04	5200-20200	1900
	प्रयोगशाला परिचर	04	आउटसोर्सिंग के माध्यम से	
(3)	महामाया राजकीय महाविद्यालय, धनुपुर, हण्डिया, इलाहाबाद विज्ञान संकाय हेतु -			
	प्रवक्ता-गणित	01	15600-39100	6000
	प्रवक्ता-भौतिक विज्ञान	01	15600-39100	6000
	प्रवक्ता-रसायन विज्ञान	01	15600-39100	6000
	प्रवक्ता-वनस्पति विज्ञान	01	15600-39100	6000
	प्रवक्ता-जन्तु विज्ञान	01	15600-39100	6000
	प्रयोगशाला सहायक	04	5200-20200	1900
	प्रयोगशाला परिचर	04	आउटसोर्सिंग के माध्यम से	
	वाणिज्य संकाय हेतु -			
	प्रवक्ता-वाणिज्य	02	15600-39100	6000

सत्यापित

[Signature]

प्राचार्य
रा० महिला स्ना० महावि०
रामपुर

Post Srijan-79

Dr. Amit Bhasadwaj

[Signature] 19.1.16

-2/-

(4) राजकीय महाविद्यालय, उन्नाव			
विज्ञान संकाय हेतु -			
प्रवक्ता-गणित	01	15600-39100	6000
प्रवक्ता-भौतिक विज्ञान	01	15600-39100	6000
प्रवक्ता-रसायन विज्ञान	01	15600-39100	6000
प्रवक्ता-वनस्पति विज्ञान	01	15600-39100	6000
प्रवक्ता-जन्तु विज्ञान	01	15600-39100	6000
प्रयोगशाला सहायक	04	5200-20200	1900
प्रयोगशाला परिचर	04	आउटसोर्सिंग के माध्यम से	
(5) काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर, मदीही			
बी०ए०डी० संकाय हेतु -			
प्रवक्ता-बी०ए०डी०	08	15600-39100	6000
(6) महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदोई			
बी०ए०डी० संकाय हेतु -			
प्रवक्ता-बी०ए०डी०	09	15600-39100	6000
(7) राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर			
बी०ए०डी० संकाय हेतु -			
प्रवक्ता-बी०ए०डी०	02	15600-39100	6000
(8) वीरगंगा लक्ष्मीबाई राजकीय महिला महाविद्यालय, झांसी			
एम्प०ए० संकाय हेतु -			
प्रवक्ता-समाजशास्त्र	02	15600-39100	6000
प्रवक्ता-इतिहास	02	15600-39100	6000
प्रवक्ता-हिन्दी	02	15600-39100	6000
प्रवक्ता-राजनीतिशास्त्र	02	15600-39100	6000
प्रवक्ता-शिक्षाशास्त्र	02	15600-39100	6000
प्रवक्ता-अंग्रेजी	02	15600-39100	6000
(9) राजकीय महाविद्यालय, देवबंद, सहारनपुर			
कला संकाय हेतु -			
प्रवक्ता-उर्दू	01	156600-39100	6000
(10) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांथला, शामली			
विज्ञान संकाय हेतु -			
प्रवक्ता-वनस्पति विज्ञान	01	15600-39100	6000
प्रवक्ता-जन्तु विज्ञान	01	15600-39100	6000
प्रयोगशाला सहायक	02	5200-20200	1900
प्रयोगशाला परिचर	02	आउटसोर्सिंग के माध्यम से	

2- उक्त पदों पर नियुक्ति/तैनाती सत्र प्रारम्भ होने हेतु समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति होने अथवा शैक्षणिक कार्य प्रचलित होने पर ही की जायेगी। सृजित पदों के वेतन आदि हेतु आवश्यक बजट प्राविधान निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करा लिया जायेगा।

3- उपरोक्त सभी पद अपने सम्बन्धित संवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में माने जायेंगे तथा पदधारकों को समय-समय पर शासन द्वारा अनुमन्य मंहगाई भत्ते व अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

4- चतुर्थ श्रेणी के पदों पर तैनाती बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से की जायेगी।

5- उक्त पदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनागत-03-

सत्यापित

प्राचार्य

रा० महिला स्ना० महावि०
रामपुर

विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-103-राजकीय कालेज तथा संस्थान-04-राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढीकरण एवं उन्नयन तथा नये संकायों एवं विषयों का समावेश" के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या-ई-11-1420/दस-2015, दिनांक 07 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(दी०बी० सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-169 (1)/सत्तर-5-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
5. प्राचार्य, सम्बन्धित महाविद्यालय।
6. वित्त (ई-11) अनुभाग/उच्च शिक्षा अनुभाग-4.
7. गार्ड फाइल।

सत्यापित

(Signature)

प्राचार्य

रा० महिला स्ना० महावि०
रामपुर

आज्ञा से,

(Signature)

(कुँवर मकरन्द सिंह)
अनु सचिव।



महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

संज्ञक सं. कुवि/संघ/2019/705/55

दिनांक: 25.05.2019

सेवा में

प्रचार्य

राजकीय महिला स्वातंत्रोत्तर महाविद्यालय, रामपुर

विषय: प्रचार्य राजकीय महिला स्वातंत्रोत्तर महाविद्यालय, रामपुर को सलाह उत्तर पर विज्ञान संकायगत 400एससी0 (सिध व साथी रूप) पाठ्यक्रमों/विषयों में सम्मिलता की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (अधिनियम सं. 1973) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 14 सं. 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 को धारा 37 (2) के अंतर्गत के अधीन राज्य सरकार द्वारा संशुद्धि की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबंध को समाप्त कर दिया गया है तथा संशुद्धि की अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम को धारा 37 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत में तथा संशुद्धि के सं. सं. 14 सं. 2014/सं. 2-2014-16(266)/2012 दिनांक 01.09.2014 को अनुपालन में पूर्व संशुद्धि महाविद्यालय तथा राजकीय महिला स्वातंत्रोत्तर महाविद्यालय के संशुद्धि प्रस्तावों पर विचार करने हेतु राज्य सरकार समिति को गठित किया दिनांक 25.05.2019 को आहूत की गयी। संशुद्धि समिति द्वारा की गयी संपुर्ण कार्यपरिपत्र से अनुमति की प्रस्ताव में संशुद्धि राजकीय महिला स्वातंत्रोत्तर महाविद्यालय, रामपुर को सलाह उत्तर पर विज्ञान संकायगत 400एससी0 (सिध व साथी रूप) पाठ्यक्रमों/विषयों में विज्ञान संकायगत विषयों के अधीन प्रदान की जाती है।

- 01. संशुद्धि राज्य द्वारा संशुद्धि राज्य विश्वविद्यालय (संशुद्धि) अधिनियम 2014 द्वारा मूल अधिनियम 1973 को धारा 37 (2) के अंतर्गत में संशुद्धि के अनुसार शिक्षण सामग्री प्राप्त होने से पूर्व सभी निदेशित मासिकों को पूर्ण कर लिया जाय अन्यथा सि. स्थिति से छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा। सलाह अनुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासन सं. सं. 522/सं. 2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- 02. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को प्रतिनियुक्त/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबंधों तथा शैक्षणिक एवं नि. विद्यालय द्वारा निर्धारित सलाह मासिकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई संशुद्धि वापस दिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- 03. संस्था/महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रस्तावना प्रतिपत्र प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय संशुद्धि की सलाह पूरी कर रहा है।
- 04. संस्था/महाविद्यालय की संशुद्धि प्रस्तावना द्वारा प्रस्तावित अधिनियम के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी भी प्रकार का अडाला दे-वि. संबंधित अधिनियम/संशुद्धि के अंतर्गत अथवा असत्य भी एवं ऐसा कोई तथ्य प्रमाणित हो कि संस्था/महाविद्यालय की संशुद्धि नहीं की जा सकती थी तो प्रस्ताव संशुद्धि निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण अंतर्गत महाविद्यालय प्रस्तावना का होगा।
- 05. संस्था को उपयोग शिक्षणकार्य को अधिनियम अन्य कार्यों में नहीं किया जायेगा एवं संस्था परिसर को वेगल से मुक्त रहेगा।

[Signature]

प्रचार्य

राजकीय महिला स्वातंत्रोत्तर महाविद्यालय

[Signature]

प्रचार्य

रा० महिला स्वा० महाविद्यालय

सत्यापित

[Signature]

प्रचार्य


रा० महिला स्वा० महावि०
रामपुर

N/21/2024


- 6. सभी महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु स्लेप फॉर निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।
- 7. महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCR-M का काम अर्पण कर देना अनिवार्य होगा।
- 8. उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशावली संख्या 392/संतर-3-2018 दिनांक 28 फरवरी 2018 के अनुसार महाविद्यालयों में का निम्नलिखित कार्यवाही होनी चाहिए।

प्रचारक
/

- प्रतिबन्धित नमूने लिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
- 1. प्रचारक, कुलसचिव
 - 2. प्रचारक, एस०जी०पी०ऊ०वि०, बरेली
 - 3. प्रचारक, उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली
 - 4. प्रचारक, प्रमुख, का. अधिमा. कार्यवाही हेतु।


प्र० महिला स्म० महाविद्यालय


कुलसचिव


प्र० महिला स्म० महाविद्यालय
संख्या 13022

सत्यापित

प्रचारक
स० महिला स्म० महावि०
सम्पूर्ण

2122451, 2122781, 2122771, 21224116
2122531, 2122117, 2122672, 2122947



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110 002
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110 002

2nd November, 2004

F. 1-2/2000 (CPP-I)

The Principal,
Government Girls Degree College,
Macchili Bhawan,
Rampur,
District Rampur (U.P.)

Sub:- Certificate of Registration under Section 2 (f) & 12 (B) of the UGC Act, 1956.

Sir,

With reference to your letter No. 358/UGC-Naac/04-05 dated 1.11.2004 on the above subject, I am directed to say that the name of Government Girls Degree College, Rampur is included in the list of Colleges maintained under Section 2 (f) of the UGC Act, 1956 under the head Government Colleges teaching upto Post-Graduate Degree. The College is also eligible to receive Central Assistance under Section 12 (B) of the UGC Act.

सत्यापित

प्रचार्य
म० पहिला म्ना० पहलिय०
रायपुर

Yours faithfully,

(Prem Chand)
Section Officer